

संख्या 13/1/2006-पी0 और पी0 डब्ल्यू0 (एफ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

\*\*\*\*\*

लोक नायक भवन, खान मार्किट,

नई दिल्ली - 110003

दिनांक 14 दिसम्बर, 2009

विषय: साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियमावली 1960, के नियम 12 में संशोधन - भारत के राजपत्र में 3 अक्टूबर, 2009 को प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 22 सितम्बर, 2009 को जारी किए जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर भारत के राजपत्र में दिनांक 3 अक्टूबर, 2009 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 2689 दिनांक 22 सितम्बर, 2009 की एक प्रति संलग्न करने और यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि इसकी विषयवस्तु को सूचना और अनुपालन के लिए अपने नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के ध्यान में ला दें।



(राज सिंह)

निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि:

राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, सी0 एण्ड ए0 जी, यूपीएससी को मानक वितरण सूची के अनुसार।



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 40 ] नई दिल्ली, सितम्बर 27—अक्टूबर 3, 2009, शनिवार/आश्विन 5—आश्विन 11, 1931  
No. 40] NEW DELHI, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2009, SATURDAY/ASVINA 5—ASVINA 11, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2009

का.आ. 2689.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) और अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के नियम 12 के उपनियम (1) के खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(छ) ऐसे स्थानों के दर्शनार्थ, जो मंजूरी प्राधिकारी का यह समाधान होने पर कि वे स्थान तीर्थयात्रा के स्थान या किसी धार्मिक प्रतिष्ठा के स्थान समझे जाते हैं, होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए”।

[फा. सं.-13/1/2006/पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)]

राज सिंह, निदेशक

पाद टिप्पण : साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3000, तारीख 1 दिसंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्वी संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा किए गए :-

1. का.आ. सं. 2002, तारीख 2 सितंबर, 1989
2. का.आ. सं. 710, तारीख 4 मार्च, 1990
3. का.आ. सं. 3006, तारीख 17 नवंबर, 1990
4. का.आ. सं. 3272, तारीख 9 दिसंबर, 1990
5. का.आ. सं. 146, तारीख 20 मार्च, 1993
6. का.आ. सं. 377, तारीख 10 फरवरी, 1996
7. का.आ. सं. 379, तारीख 10 फरवरी, 1996
8. का.आ. सं. 3288, तारीख 23 नवंबर, 1996
9. का.आ. सं. 826, तारीख 25 अप्रैल, 1998
10. का.आ. सं. 2500, तारीख 5 दिसंबर, 1998
11. का.आ. सं. 2690, तारीख 16 सितंबर, 2003
12. का.आ. सं. 1485(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2003
13. का.आ. सं. 3682, तारीख 15 अक्तूबर, 2005
14. का.आ. सं. 1529, तारीख 6 जून, 2009

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

**(Department of Pension and Pensioners' Welfare)**

New Delhi, the 22nd September, 2009

**S.O. 2689.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts, Department, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) (Second Amendment) Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in rule, 12, in sub-rule (1), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—  
“(g) to meet the expenses for visiting places which, to the satisfaction of the sanctioning authority, are considered as places of pilgrimage or places of eminence of any religion.”

[F. No. 13/1/2006-P & PW (F)]

RAJ SINGH, Director

**Foot Note :** The General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, were published in the Gazette of India, vide Notification No. S.O. 3000, dated the 1st December, 1960 and subsequently amended vide notifications mentioned below:—

1. S.O. No. 2002 dated the 2nd September, 1989.
2. S.O. No. 710 dated the 4th March, 1990.
3. S.O. No. 3006 dated the 17th November, 1990.
4. S.O. No. 3272 dated the 9th December, 1990.
5. S.O. No. 146 dated the 20th March, 1993.
6. S.O. No. 377 dated the 10th February, 1996.
7. S.O. No. 379 dated the 10th February, 1996.
8. S.O. No. 3288 dated the 23rd November, 1996.
9. S.O. No. 826 dated the 25th April, 1998.
10. S.O. No. 2500 dated the 5th December, 1998.
11. S.O. No. 2690 dated the 16th September, 2003
12. S.O. No. 1485(E) dated the 30th December, 2003.
13. S.O. No. 3682 dated the 15th October, 2005.
14. S.O. No. 1529 dated the 6th June, 2009.